(133)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक PLR/निगरानी/.हरदा/भू.रा./2017/3746 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–9–2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, हरदा अपील प्रकरण कमांक 32/2016–17.

तरूण पिता लेखराम
निवासी ग्राम खेड़ा
तहसील हंडिया जिला हरदा .....आवेदक

विरूद्ध

देवेन्द्र पिता मानसिंह
निवासी ग्राम जाटवास
तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
हाल मुकाम ग्राम खेड़ा
तहसील हंडिया जिला हरदा .....अनावेदक

श्री इनोश जार्ज कारलो, अभिभाषक, आवेदक
श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 12/4/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–9–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, हंडिया द्वारा प्रकरण कमांक 47/अ–6/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 21–3–2016 के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, हरदा के समक्ष दिनांक 27–4–2017 को लगभग एक वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण कमांक 32/2016–17 दर्ज कर दिनांक 15–9–2017 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील ग्राह्य की गई ।

अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक ने अनावेदक जिल्ले सिंह का पुत्र होना सिद्ध करने हेतु अनावेदक के विधानसभा तथा लोकसभा की निर्वाचन नामावलियां, राशनकार्ड की प्रतिलिपि, अनावेदक का वोटर आई.डी. तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक के पिता का वास्तविक नाम जिल्ले सिंह है और उसके द्वारा फर्जी गोदनामा तैयार किया गया है । यदि अनावेदक को स्व. मानसिंह ने दिनांक 11–12–2000 को गोद लिया होता तो देवेन्द्र के समस्त शासकीय अभिलेखों में पिता के रूप में स्व. मानसिंह का नाम दर्ज होता और ऐसे दस्तावेजों को अनावेदक प्रथम अवसर पर ही तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करता ।

(2) अनावेदक नामांतरण के प्रकरण में तहसील न्यायालय के समक्ष अपने पिता का नाम जिल्ले सिंह के स्थान पर मानसिंह होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर, उसका साक्ष्य का अवसर समाप्त हो गया । अनावेदक तीन बार तहसील न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हुआ । इस प्रकार अब नामांतरण प्रकरण के दिनांक 27–3–2016 को निराकृत होने के एक वर्ष से भी अधिक समय पश्चात जब अनावेदक अपने पिता का नाम जिल्ले सिंह के स्थान पर मानसिंह करवाने में सफल हुआ, तब उसने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त अपील प्रस्तुत की है । वास्तव में अपील के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब का यही एक मात्र दुराशयपूर्ण कारण है, जो प्रथम दृष्टया सिद्ध है।

(3) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मनीबेन देवराज शाह विरूद्ध वृहन्न मुम्बई नगर पालिका 2012(4) एम.पी.एल.जे. में यह न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अवधि विधान की धारा 5 के अनुसार किसी भी अपील अथवा आवेदन को प्रावधानित समयावधि के पश्चात उसी अवस्था में स्वीकार किया जा सकता है, जब आवेदनकर्ता/अपीलार्थी न्यायालय को यह संतुष्ट कर दे कि अपील/आवेदन को विलम्ब से प्रस्तुत करने का पर्याप्त कारण था । न्यायालय को अनिवार्यतः यह देखना चाहिए कि आवेदक/अपीलार्थी ने विलम्ब का पर्याप्त कारण दर्शाया है या नही और ऐसा कारण सद्भावी है या नहीं । यदि विलम्ब का स्पष्टीकरण मनगढंत और दुर्भावनापूर्ण है तो ऐसी

स्थिति में विलम्ब को क्षमा नहीं करना ही विधिसम्मत होता है । इस तर्क के समर्थन में (1987) 2 एस.सी.सी. 107, (1988) 7 एस.सी.सी. 123 के न्याय दृष्टांतों का भी उल्लेख किया गया है ।

(4) तहसील न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश दिनांकित 21–3–2016 में यह उल्लैख किया है कि पेशी दिनांक 16–7–2012, 30–7–2012, 13–8–2012 और 27–8–2012 तथा अन्य आगामी तिथियों पर अनावेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अनेक अवसर प्रदान किए गए, परन्तु अनावेदक ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया । तदोपरान्त अनावेदक ने संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर साक्ष्य हेतु अवसर की मांग की गई, जिस पर अनावेदक को एक और अंतिम अवसर प्रदान किया गया, परन्तु अनावेदक ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की और लगातर अनुपस्थित रहा, जिसके कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया । तहसील न्यायालय ने प्रकरण 27–1–2014 को संहिता की धारा 35 (3) के आवेदन पत्र पर सुनवाई हेतु नियत कर उभय पक्ष की साक्ष्य हेतु नियत किया गया । इस पेशी पर आवेदक ने ऐसे कई शासकीय दस्तावेज प्रस्तुत कर अनावेदक के पिता का नाम मानसिंह के स्थान पर जिल्ले सिंह होना सिद्ध किया । उक्त दिनांक को अनावेदक के मुख्तयारआम भी उपस्थित था, किन्तु वास्तविकता दर्शाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत होने पर वह तहसील न्यायालय से चला गया ।

(5) अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जो निर्वाचन कार्ड प्रस्तुत किया है, वह दिनांक 26–2–2014 को जारी हुआ है अर्थात साक्ष्य का अवसर समाप्त होन के पश्चात का दर्शित है । बैंक पास बुक सहित अन्य प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी रूप से तैयार किये गये हैं और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किये बगैर पूर्णतः आधारहीन अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र को अवैधानिक रूप से स्वीकार कर अपील को विचारण में स्वीकार करने की गंभीर वैधानिक भूल की गई है ।

(6) अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में जो कारण दर्शाये गये हैं, वह सही नहीं है, क्योंकि अनावेदक दिनांक 27–1–2014 तहसील न्यायालय में उपस्थित था, तब ही उसके एकपक्षीय होने एवं साक्ष्य का अवसर

समाप्त होने की जानकारी थी, किन्तु इस तथ्य को उसके द्वारा जानबूझकर छिपाया गया है ।

(7) अनावेदक द्वारा मात्र स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि विलम्ब क्षमा करनें के लिए अनावेदक को अपने आवेदन पत्र के समर्थन में अपने मुख्त्यारआम रेवाराम का शपथ पत्र प्रस्तुत करते । इसके अतिरिक्त अनावेदक द्वारा प्रकरण की सही जानकारी नहीं देने वाले अधिवक्ता का नाम भी नहीं दर्शाया गया है, जो कि उसकी दुर्भावना को दर्शाता है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन पत्र को स्वीकार करने में गंभीर भूल की गई है ।

(8) अनावेदक ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है तथा दिनांक 27–1–2014 से प्रकरण में अपनी अनुपस्थिति का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है । मात्र एक वर्ष से महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) जाना व्यक्त किया है, किन्तु यह नहीं दर्शाया गया है कि एक वर्ष से ऐसा कौनसा आवश्यक कार्य कर रहा था कि अपने प्रकरण की जानकारी तक उचित रूप से नहीं ले पाया । आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, जिनसे स्पष्ट है कि उक्त अवधि में वह महेंद्रगढ़ के विभिन्न शासकीय कार्यालयों में आना–जाना कर रहा था और न्यायालय को भ्रमित करने के लिए कूटरचित दस्तावेज बनवा रहा था ।

(9) अनावेदक ने विलम्ब का एकमात्र कारण एक वर्ष से आवश्यक कार्य में व्यस्त होना व्यक्त किया है, जो कि विलम्ब क्षमा करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय ने विलम्ब का कारण किस आधार पर पर्याप्त एवं सद्भाविक माना है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि स्व. मान सिंह के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है । यह भी कहा गया कि स्व. मान सिंह ने अनावेदक को पंजीकृत गोदनामा दिनांक 11–12–2000 से गोद लिया था, इसलिए वह स्व. मान सिंह का दत्तक पुत्र है तर्क में यह भी कहा कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पंजीकृत गोदनामा को नहीं मानकर, फर्जी वसीयतनामा के आधार पर आवेदक का नामांतरण स्वीकृत करने में अवैधानिकता की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक को उसके अभिभाषक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं दिये जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील विलम्ब

से प्रस्तुत की गई थी । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं गई है, क्योंकि प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है, इसलिए आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया गया है, अतः तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी अनावेदक को नहीं होना स्वाभाविक है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सकारण आदेश पारित कर विलम्ब का कारण सद्भाविक मानते हुए विलम्ब क्षमा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । न्याय दृष्टान्त 1993 आर.एन. 183 किशनलाल तथा एक अन्य विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, म.प्र. तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:–

> ''**परिसीमा**–आरंभ होने का बिंदु–प्रभावित पक्षकार को सूचना नहीं दी गई और उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया–वाक्य'' आदेश की तारीख''–अर्थ–''आदेश की जानकारी की तारीख'' के रूप में अर्थान्वयन करना और पढ़ना होगा ।''
>
> ''**शब्द तथा वाक्य**–वाक्य ''आदेश की तारीख''–अर्थ–प्रभावित पक्षकार को सूचना नहीं दी गई और उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया–वाक्य–''आदेश की तारीख'' का ''आदेश की जानकारी की तारीख'' के रूप में अर्थान्वयन करना और पढ़ना होगा ।''

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–9–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर